न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 234/2019 दिनांक–15.11.2019

श्री गणपत सिंह उर्फ गणपतराम पुत्र श्री मुन्नाराम जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– आवेदक

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ

–अनावेदक

वकील वादी : – श्री जयपाल सिंह
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती व नाम की घोषणा बाबत

:: निर्णय ::

दिनांक :–31.01.2020

वादी द्वारा एक वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में नई खाता सख्या नया 10 पुराना 07 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 481/76 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरानम्बर 481/76 रकबा 0.0300 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0400 हैक्टर व इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 24 पुराना 7 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 76 रकबा 1.6100 हैक्टर व इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 121 पुाना 95 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 1.1400 हेक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 1.1800 हैक्टर खसरा नमबर 71 रकबा 2.00 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.3200 हेक्टर तथा इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 120 पुराना 94 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.0300 हैक्टर कुल किता 2 0.4100 हैक्टर स्थित है। इस प्रकार ग्राम कैमरी की ढाणी पटवार हलका खिरोड में वादी के चार खाते अलग–अलग है जिसमें राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम तीन खातों मे व एक खाते के राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही नही है जिसके लिए उक्त वा दनाम दुरूस्ती का श्रीमानजी के न्यायालय पेश करना आवश्यक हुआ। वाद पत्र की मद संख्या 1 में दर्शाई गई कृषि भूमि वादी की पैत्रिक कृषि भूमि है। उपरोक्त वर्णित भूमि में राजस्व कर्मचारियों ने गलती से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गणपत सिंह की जगह गणपतराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है व खाता संख्या 120 ग्राम कैमरी की ढाणी के राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम मुन्नाराम की जगह मोहनराम दर्ज कर दिया गया जो कि गलत दर्ज कर दिया जिसकी घोषणा व रिकार्ड दुरूस्त करवाने

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

के लिए वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी का वास्तविक नाम गणपत सिंह पुत्र मुन्नाराम है समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम गणपत सिंह पुत्र मुन्नाराम ही दर्ज है प्रार्थि को इस बात का पता नही था कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अलग–अलग खातों में गणपत पुत्र मोहनराम व गणपत पुत्र मुन्नाराम चल रहा है। उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए उक्त राजस्व रिकार्ड में गणपत के स्थान पर गणपत सिंह व पिता का नाम मोहनराम के स्थान पर मुन्नाराम नाम दर्ज करवाने के लिए उक्त वाद पत्र श्रीमानजी की सेवामें में पेश करना आवश्यक हुआ उक्त राजस्व कर्मचारियों के द्वारा की गई उक्त नाम की गलती सहवन व लापरवाही से हुई है, जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। उक्त वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि ग्राम कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड की सरहद में नई खाता संख्या नया 10 पुराना 07 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 479/76/0.0100, 481/76/0.300 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0400 हैक्टर व इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 24 पुराना 7 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 76/1.6100 हैक्टर तथा इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या 121 पुराना 95 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 66/1.1400, 70/1.1800, 71/2.00 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4. 3200 हेक्टर तथा इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 120 पुराना 94 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 201/0.3800, 202/0.0300 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4100 हैक्टर स्थित है उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम को निम्नानुसार दुरूस्त किया जावे भूमि खाता संख्या नया 10 के राजस्व रिकार्ड में गणपराम पुत्र मुन्नाराम के स्थान पर गणपत सिंह पुत्र मुन्नाराम दर्ज किया जावे व खाता संख्या नया 24 में राजस्व रिकार्ड में गणपतराम पुत्र मुन्नाराम के स्थान पर गणपत सिंह पुत्र मुन्नाराम व खाता संख्या नया 121 के राजस्व रिकार्ड में गणपत पुत्र मुन्नाराम के स्थान पर गणपत सिह पुत्र मुन्नाराम तथा खाता संख्या नया 120 के राजस्व रिकार्ड में गणपत पुत्र मोहनराम के स्थान पर गणतप सिंह पुत्र मुन्नाराम दर्ज कर के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा वादी गणपत सिंह पुत्र मुन्नाराम नाम की घोषणा करने की कृपा करें जिसके लिये अप्रार्थी तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी की जावे।

प्रार्थी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार उपस्थित। प्रतिवादी राज पैरोकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया कि वादी गणपत सिंह उर्फ गणपतराम पुत्र मुन्नाराम का ग्राम कैमरी की ढाणी के खाता संख्या 10, 121, 120, 24 में वादी का नाम गणपतराम पुत्र मुन्नाराम दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजो में वादी का नाम गणपत सिंह पुत्र मुन्नाराम है, अतः गणपतराम के स्थान पर गणपतसिंह किया जाने की सहमति प्रदान की। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थीगण दस्तावेजात पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, अधार कार्ड, में गणपत सिंह पुत्र मुन्नाराम दर्ज है

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न दस्तावेज अनुसार वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम कैमरी की ढाणी के खाता संख्या 10, 121, व 24 में वादी का नाम गणपतराम पुत्र मुन्नाराम के स्थान पर गणपत सिंह पुत्र मुन्नाराम तथा खाता संख्या 120 मे गणपतराम पुत्र मोहनलाल के स्थान पर गणपत सिंह पुत्र मुन्नाराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **31.01.2020** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला
मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत विधिवत विभाजन

मुकदमा सं०:– 234 / 2019 (**गणपत सिंह उर्फ गणपत बनाम तहसीलदार नवलगढ़ वगैरह**)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **31.01.2020** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम कैमरी की ढाणी के खाता संख्या 10, 121, व 24 में वादी का नाम गणपतराम पुत्र मुन्नाराम के स्थान पर गणपत सिंह पुत्र मुन्नाराम तथा खाता संख्या 120 मे गणपतराम पुत्र मोहनलाल के स्थान पर गणपत सिंह पुत्र मुन्नाराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। अतः तहसीलदार नवलगढ को कमीश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 लगायत 22 की पालना करते हुये पक्षकारान की मौजूदगी में मुताबिक कब्जा काश्त वादीया की भूमि का खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन..........–.......... मुबलिग..........–..........बाबत.....–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–...... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **31** माह **01** सन **2020** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.11 17:18:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: